अति आवश्यकीय
संख्या : 23011/32/2010–एफआरए (भाग–2 (बिंदु))
भारत सरकार
आदिवासी कल्याण मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक : 12 जुलाई 2012

सेवा में,

1. समस्त राज्य सरकारों के मुख्य सचिव (जम्मू व कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली को छोड़कर)
2. समस्त केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य प्रशासक (लक्षद्वीप को छोड़कर)

विषय : अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम–2006 के क्रियान्वयन निर्देशों के संबंध में।

महोदय,

आपको विदित है कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम–2006, एक ऐतिहासिक कानून सन् 2006 में पारित हुआ। इसका उद्देश्य देश में रह रहे अनुसूचित जनजाति और अन्य वन निवासियों के साथ हुए ऐतिहासिक अत्याचारों के उपचार करना है। यद्यपि इसके क्रियान्वित होने के 4 वर्षों बाद भी, मंत्रालय के प्रेक्षण में आया है कि इस जनहितकारी कानून के उचित लाभ योग्य वन निवासियों के लिए बाधित हैं।

2. मंत्रालय को विदित हुआ है कि इस अधिनियम को शब्दशः व प्रवृत्ति के अनुसार लागू करने में कई परेशानियाँ हो रही हैं जैसे–कुछ मामलों में पंचायत स्तर पर ग्राम सभा की बैठक आयोजित करने में जिससे किसी गाँव के पूर्व में गैर शामिल छोटे तबकों के निवासी गाँव में शामिल नहीं माने जा रहे हैं; वन निवासियों के बेरोकटोक लघु वन उपजों पर मान्यता न मिलना; विभिन्न प्रकार की बाधाएं थोपना जैसे– लघु वन उपजों के यातायात के लिए पारगमन अनुज्ञापत्र, शुल्क की लेवी, अन्य शुल्क, लघु वन उपजों की रॉयल्टी; अधिनियम में 'लघु वन उपजों' में परिभाषित कुछ विशेष लघु वन उपजों को न मानना; लघु वन उपजों के व्यापार में एकाधिकार, विशेष तौर पर अधिक मूल्यवान 'तेंदू पत्ता' जैसी उपजों पर कई राज्यों में वन निगमों द्वारा; अन्य सामुदायिक अधिकारों को मान्यता न देना जैसे–निस्तार हक, समस्त वनग्रामों का संरक्षण, पुरानी बसासतें, राजस्व ग्रामों में गैर सर्वेकृत व अन्य वन ग्राम चाहे वे दर्ज हों या न हों; इस अधिनियम की धारा 3(1)(i) के अनुसार वन संरक्षण, पुनरुत्पादन, या प्रबंधन के लिए किसी भी सामुदायिक वन संसाधन के लिए सामुदायिक वन संसाधन अधिकार को मान्यता न देना।

3. कई क्षेत्रों में, अधिनियम के प्रावधानों का अतिक्रमण करके आदिवासी और अन्य वन निवासी लोगों को वन भूमि से हटाए जाने के लिए प्रताड़ित और धमकाया जा रहा है, और विकास परियोजनाओं के लिए बलात् पुनर्स्थापन व विस्थापन, उनके अधिकारों की बिना किसी व्यवस्था व सुरक्षा के किया जा रहा है। कई राज्यों में दावों को निरस्त कर दिया जा रहा है तथा विभागीय अधिकारी किसी विशेष प्रमाणों पर जोर दे रहे हैं, व उपग्रह इमेजरी जैसी नई तकनीक मात्र को ही दावों के विचारार्थ प्रमाण माना जा रहा है, दावेदारों द्वारा दावों के समर्थन में में प्रमाण जमा करने के बावजूद भी। अधिनियम के प्रावधानों के बारे में अपर्याप्त जन जागरुकता, विशेषतौर पर अधिनियम में उल्लेखित प्राधिकारियों के निर्णयों से व्यथित लोगों द्वारा याचिका दायर करने संबंधी; क्रियान्वयन अधिकारियों के अपर्याप्त प्रशिक्षण आदि के कारण इस अधिनियम को शब्दशः व प्रकृति के अनुसार लागू करने में बाधाएं आ रही हैं।

4. उपर्युक्त संदर्भों में इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने कुछ प्रावधान/कदम उठाए हैं जिससे इस अधिनियम का उचित अनुपालन हो सके। इस पत्र के परिशिष्ट में राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रशासनों के लिए कुछ दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं। यह निवेदन है कि संलग्न दिशा–निर्देशों को समस्त कार्यकारी एजेन्सियों के संज्ञान में लाया जाय और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में इसका कड़ाई से पालन

किया जाय। इन दिशा–निर्देशों को यथाशीघ्र लागू करने हेतु लिए गए निर्णयों से इस मंत्रालय को तत्काल सूचित किया जाय।

5. यह परिपत्र सक्षम अधिकारी की अनुमति से जारी किया गया है।

भवदीय

(साधना राउत)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
फोन : 011–23383622

प्रतिलिपि : राज्य के प्रमुख सचिवों/आदिवासी कल्याण–विकास विभाग के सचिवों को त्वरित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(साधना राउत)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

परिशिष्ट
भारत सरकार
आदिवासी मामलों का मंत्रालय

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम–2006 के क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम–2006, वन भूमि पर, वनों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति व अन्य वन निवासियों, जो ऐसे वनों में पीढ़ियों से रहते आए हैं परन्तु उनके अधिकार दर्ज नहीं हैं, को वन अधिकारों और आजीविकाओ ंकी मान्यता देता है। यह अधिनियम 31.12.2007 को कार्यान्वयन के लिए अधिसूचित हुआ और अनुसूचित जनजाति व अन्य वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियमावली–2008 के तहत प्रावधानों को लागू करने के लिए 1.1.2008 को अधिसूचित किया गया।

विगत 4 वर्षों में इस अधिनियम को शब्दशः व प्रवृत्ति के अनुसार लागू करने में कई परेशानियाँ हो रही हैं जैसे–कुछ मामलों में पंचायत स्तर पर ग्राम सभा की बैठक आयोजित करने में जिससे किसी गाँव के पूर्व में गैर शामिल छोटे तबकों के निवासी गाँव में शामिल नहीं माने जा रहे हैं; वन निवासियों के बेरोकटोक लघु वन उपजों पर मान्यता न मिलना; अन्य वनाधिकारों को मान्यता न मिलना; बिना वनाधिकारों व व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किए ही वन निवासियों को प्रताड़ित करके बेदखल करना; किसी विशेष प्रमाण पर जोर देकर दावों को निरस्त करना; अधिनियम व नियमावली के बारे में पर्याप्त जानकारी न होना आदि।

उपर्युक्त मामलों के मध्यनजर, अधिनियम को प्रभावी तरीके से लागू करने हेतु, क्रियान्वयन के विभिन्न पक्षों व समस्त राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा मानने करने के लिए निम्नलिखित दिशा–निर्देश जारी किए जा रहे हैं :

I) अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया

(अ) राज्य सरकार, वनाधिकार समिति की सूचना प्राप्ति के बाद, दावों के सत्यापन व मौके पर प्रमाण के समय वन या राजस्व विभाग के कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करे।

(ब) ग्राम सभा या उपखंड स्तरीय समिति या जनपद स्तरीय समिति द्वारा दावे में फेरबदल या निरस्तीकरण के निर्णय की सूचना दावेदार को दी जाय, ताकि वह अधिनियम के प्रावधानों के तहत उपखंड या जनपद समिति के पास, जैसा मामला हो, 60 दिनों के भीतर याचिका दायर कर सके; और ऐसी किसी भी याचिका का निपटारा पीड़ित व्यक्ति के खिलाफ न हो, जब तक कि उसे अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर न दे दिया जाय।

(स) उपखंड स्तरीय या जनपद स्तरीय समिति को दावा निरस्त करने या फेरबदल करने के बजाय, यदि आवश्यक हो, यदि ग्राम सभा की संस्तुति प्रथम दृष्ट्या अधूरी हो या उसमें अन्य जानकारियां वांछित हों तो ग्राम सभा को पुनर्विचार के लिए भेजना चाहिए।

(द) ऐसी परिस्थिति में कि ग्राम सभा द्वारा दावा संस्तुत किया गया हो और उपखंड समिति ने भी उसे स्वीकृत कर लिया हो, परन्तु जनपद स्तरीय समिति ने उसे संस्तुति न दी हो, जनपद समिति को ग्राम सभा व उपखंड समिति की संस्तुतियों को खारिज करने का कारण दर्ज करना होगा, और लिखित में आदेश की एक प्रति दावेदार को उपलब्ध करानी होगी।

(य) अधिकारों की सुनिश्चितता व अधिनियम के परिशिष्ट II, III, IV के अनुसार शीर्षकांकित होने की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, वन / राजस्व विभाग दावे में शामिल वन भूमि का अंतिम नक्शा तैयार करेगा, और संबंधित प्राधिकारी उक्त वन अधिकारों को राजस्व व वन अभिलेखों में, जैसा भी मामला हो, दस्तावेज सुधार की निर्धारित प्रक्रिया से दर्ज करेगा।

(र) उपखंड या जनपदीय समिति के समस्त निर्णय, जिसमें ग्राम सभा के प्रस्ताव/संस्तुतियों का फेरबदल या निरस्तीकरण शामिल है, मौखिक आदेश के रूप में होंगे।

(ल) उपखंड या जनपद समिति ऐसे किसी भी दावे को, बिना लिखित में उचित कारण निर्दिष्ट किए व किसी विशेष प्रमाण पर जोर न देते हुए, निरस्त नहीं कर सकेगी जिसमें नियम–13 के अनुसार दावे के साथ दो प्रकार के प्रमाण

संलग्न हों और ग्राम सभा की संस्तुति हो। किसी दावे को निरस्त करने के लिए कार्यालयों में पूर्व से रक्षित अर्थदण्ड रसीद, अतिक्रमण सूची, प्राथमिक अपराधिक रिपोर्ट, वन सेटिलमेंट रिपोर्ट या इनका न होना भी, आधिकारिक आधार नहीं माना जाएगा।

(व) उपग्रह इमेजरी जैसी तकनीकी सामग्री का प्रयोग दावेदार के दावे के विचार हेतु अतिरिक्त प्रमाण माना जाए न कि अन्य प्रमाणों को, जो दावेदार ने अपने दावे के पक्ष में दिए हों, बदलने या इसे ही एकमात्र प्रमाण मानने के लिए हो।

(ह) दावों की स्थिति जैसे–कुल आवेदित दावों की संख्या, जनपद स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृत दावे, वास्तविक रूप में दिए गए दावे, निरस्त दावों की संख्या आदि ग्राम व पंचायत स्तर पर संचार के उचित माध्यमों, जिनमें परम्परागत सूचना चस्पा करना व मुनादी करना भी शामिल है, द्वारा उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

(क) एक प्रश्न बार–बार यह उठ रहा है कि अधिनियम की धारा 4(6) में विनिर्दिष्ट 4 हेक्टेअर भूमि सीमा, जो भूमि के संबंध में, अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के उपबंध (ए) के तहत वनाधिकारों की मान्यता विषयक है; क्या यह अधिनियम की धारा 3(1) में निर्दिष्ट अन्य वनाधिकारों पर भी लागू होगा? इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है 4 हेक्टेअर सीमा का प्रावधान (धारा 4(6)) केवल धारा 3 (1)(ए) के अधिकारों पर लागू होगा न कि अन्य किसी वनाधिकार पर, जैसे–पट्टा या लीज में परिवर्तन, वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदलना आदि।

II) लघु वन उपज

(अ) राज्य सरकारें सुनिश्चित करेंगी कि लघु वन उपजों पर मान्यता (धारा 3(1)(सी)) उन समस्त उपजों पर होगी जो अधिनियम की धारा 2(i) में हैं। राज्यों की नीतियां सभी वन क्षेत्रों में इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होंगी। अधिनियम की धारा 2(i) में 'लघु वन उपजों' को साफ तौर पर परिभाषित किया गया है जिसमें वानस्पतिक मूल के समस्त 'गैर–काष्ठ' उत्पाद जैसे बांस, ब्रुश झाड़ी, खूंट, बेंत, टसर, कोकून, शहद, मोम, लाख, तेंदू या केंदू पत्ता, औषधीय पादप और शाक, मूल, कंद आदि, शामिल हैं।

(ब) कई राज्यों में लघु वन उपजों, विशेष तौर पर कीमती उपजों जैसे–तेंदू पत्ता, के व्यापार में वन निगमों का एकाधिकार इस अधिनियम की प्रवृत्ति के विरूद्ध है और इसे दूर किया जाय।

(स) वन अधिकार प्राप्त व्यक्ति या उनके कोपरेटिवों/फेडरेशनों को उक्त लघु वन उपजों को 'किसी को भी' बेचने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाय अथवा वन क्षेत्र के अन्दर या बाहर, स्थानीय उपयुक्त यातायात साधनों से आजीविकाओं के लिए, संग्रहण, गुणवत्ता वृद्धि व बेचने हेतु व्यक्तिगत या सामूहिक जिम्मेदारी दी जाय।
(द) राज्य सरकारें अपने वनोपज के पारवाहन परमिटं से इस उद्देश्य के लिए लघु वन उपजों के परिवहन की छूट प्रदान करे और पारवाहन परमिटं को यथाविधि संसोधित करे। इसके लिए ग्राम सभा के परमिट की भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। लघु वन उपजों के संग्रहण, गुणवत्ता वृद्धि, बिक्री, भले ही वे अधिकार धारकों के व्यक्तिगत या कोपरेटिवों/फेडरेशनों के मार्फत सामूहिक प्रयासों से हो, पर किसी भी प्रकार की फीस/दण्ड/रॉयल्टी आदि लेना इस अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा।

(य) राज्य सरकारें न केवल, वनों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति व अन्य वन निवासियों को लघु वन उपजों पर निर्बाध अधिकारों को प्रदान करने में सहयोगकर्ता की भूमिका निभाए, वरन् लघु वन उपजों के पारिश्रामिक मूल्य दिलाने में भी सहयोग करे।

III) सामुदायिक अधिकार

(अ) जनपद स्तरीय समिति ग्राम सभाओं को पूर्व में दर्ज निस्तारी व अन्य परम्परागत अधिकारों (जैसे–झारखण्ड में खाटियां, हिमाचल व उत्तराखण्ड में परम्परागत वन उत्पादों के अधिकार) को देना सुनिश्चित करे; और यदि इस प्रकार के पीढ़ियों पुराने उपभोगाधिकारों की मान्यता के लिए दावे किए जांय तो बिना लिखित में इन अधिकारों से इंकार के कारण दिए, ये निरस्त नहीं किए जाएंगे।

(ब) जनपद स्तरीय समिति पशुचारकों के दावों को आवेदित करने में संबंधित ग्राम सभा(ों) में सहयोग करेगी क्योंकि वे परम्परागत रूप से उस क्षेत्र या ग्राम सभा(ों) की घुमन्तू जनसंख्या मानी जाएगी।

(स) विशेष नाजुक आदिवासी समूहों (पीजीटी) के मध्यनजर, जनपद स्तरीय समिति विशेष ध्यान देकर सुनिश्चित करेगी कि वन निवासियों में भी ऐसे समूहों को उनके पारंपरिक संस्थानों के आधार पर 'आवास के अधिकार' प्राप्त हों और उनके 'आवास अधिकार' के दावे भी संबंधित ग्रामसभाओं को दिए जांए।

वनग्राम

(द) आजादी के पूर्व समय से ही वन दस्तावेजों में दर्ज वन ग्राम बहुत पहले से ही अस्तित्व में हैं। आजादी से पहले वन क्षेत्रों के अन्दर मजदूर की उपलब्धता के लिए वन प्राधिकारियों ने इन्हें प्रोत्साहित और स्थापित किया। राज्य के वन विभागों में उपलब्ध दस्तावेजों में प्रत्येक वन ग्राम स्पष्ट तौर पर, अपने क्षेत्रफल, जनसंख्या आदि के आंकड़ों सहित दर्ज हैं। इनके अतिरिक्त ऐसी स्थापनाएं व पुराने आवास भी हैं जो सरकारी दस्तावेजों में दर्ज नहीं हैं। इस अधिनियम की धारा 3(1)(एच), वन निर्भर अनुसूचित जनजातियों व अन्य परम्परागत वन निवासियों से संबंधित बस्तियों व वन ग्रामों में परिवर्तित बस्तियों, पुराने आवासों, गैर सर्वेकृत ग्रामों व अन्य ग्रामों, चाहे वे दर्ज व नोटिफाइड हों या न हों, को राजस्व ग्रामों में बदलने के अधिकार को मान्यता प्रदान करता है। इस अधिनियम के लागू होने के तुरन्त बाद ही समस्त वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित और तदनुसार सभी निवासियों को वनाधिकारों की मान्यता प्रदान कर दी जानी चाहिए थी। राज्य सरकारें निश्चित समयबद्ध तरीके से अतिआवश्यक समझकर उन सब पुराने वन ग्रामों, गैर दर्ज बस्तियों व पुराने आवासों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करे। ऐसा परिवर्तन ग्राम की वास्तविक भूमि आवश्यकताओं, जिसमें वर्तमान व भविष्य में जरूरी विद्यालयों, स्वास्थ्य सुविधाओं, सार्वजनिक स्थानों आदि, को ध्यान में रखकर किया जाय। वन ग्रामों के ऐसे दस्तावेजों को, जो वन विभागों द्वारा रक्षित हैं, अधिकारों की मान्यता के अनुसार उचित ढंग से अपडेट किए जांय।

IV) सामुदायिक वन संसाधन अधिकार

(अ) राज्य सरकारें, इस अधिनियम की धारा 3(1)(i) में सामुदायिक वन संसाधनों की सुरक्षा, पुनर्जनन, संरक्षण व प्रबंधन के अधिकारों को, जिन्हें वन निवासी पारंपरिक तौर पर सतत् उपयोग के लिए सुरक्षित व संरक्षित करते रहे हैं, प्रत्येक ग्राम में मान्यता देना सुनिश्चित करे। सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों, जो अधिनियम में शामल हैं, को यथाशीघ्र निर्धारित प्रपत्रों में किए गए दावों पर ग्रामों को स्वामित्व प्रदान करे। समय सीमा, पारंपरिक अधिकारों के अतिरिक्त सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को न मानने की बाधाएं इस अधिनियम की प्रवृत्ति के विरूद्ध मानी जाएंगी।

(ब) यदि गांव में कोई भी सामुदायिक वन संसाधन अधिकार की मान्यता न मिली हो तो उसके कारण अभिलेखों में दर्ज किए जांय। इसके लिए समुदाय के पुराने अभिलेख, संयुक्त वन प्रबंधन व वन पंचायतों के अभिलेखों का संदर्भ ग्रहण किया जाय।

(स) अधिनियम की धारा 3(1)(i) के तहत सामुदायिक वनाधिकारों की मान्यता के लिए दावे, जैसा कि धारा 2(ए) में प्रावधान है, के लिए ग्राम सभा सामुदायिक वन संसाधन की सीमाओं का आरंभिक निर्धारण करेगी।

(द) वन अधिकार नियमावली–2008 के तहत गठित समिति नियम 4(ई) के अनुसार ग्राम सभा के नियंत्रण में कार्य करेगी। राज्य की एजेन्सियां इस प्रक्रिया में सहयोगकर्ता रहेंगी।

(य) अधिनियम की धारा 3(1)(i) के तहत प्राप्त सामुदायिक वन संसाधनों पर वन सुरक्षा, पुनर्जनन, संरक्षण व प्रबंधन के अधिकार, ग्राम सभा को धारा 5 (डी) में परिभाषित कर्तव्यों के सामंजस्य में प्राप्त होंगे; जिसके अनुसार ग्राम सभा को सामुदायिक वन संसाधनों के अधिक उपयोग को नियंत्रित करने–रोकने, वन्य जीवों व जैव विविधता पर दुष्प्रभाव डालने वाली गतिविधियों को रोक देने, की शक्ति है। ऐसी कोई भी गतिविधि जो वनों में पक्षपातपूर्ण तरीके से वन्यजीवों, वनों व जैव विविधता को प्रभावित करेगी, संगत कानूनों के प्रावधानों के अनुसार निस्तारित की जाएगी।

V) बेदखली, वनभूमि उपयोग परिवर्ततन व बलात् पुनर्स्थापन के विरूद्ध सुरक्षा

(अ) अधिनियम की धारा 4(5) बहुत विशेष है जिसके तहत, मान्यता और प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरी होने तक, वनों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति व अन्य वन निवासियों के किसी व्यक्ति को उसकी आजीविका से, वन भूमि से बेदखल या हटाया नहीं जा सकेगा। यह प्रावधान सुनिश्चित प्रकार का है जो अनुसूचित जनजाति व अन्य वन निवासियों को उनके वनाधिकारों की स्थापना हुए बिना बेदखली की समस्त संभावनाओं को समाप्त करता है क्योंकि यह भाग 'अन्य प्रकार से रक्षित' शब्दों से आरम्भ होता है। इस प्रावधान का तर्क यह है कि बिना वन निवासी के अधिकारों की मान्यता प्राप्त हुए उसे बेदखल नहीं किया जा सकता क्योंकि बिना वनाधिकारों के स्वामित्व के किसी विशेष मामले में अंततः उसे मुआवजा नहीं दिया जा सकता, यदि वन क्षेत्र वन्य जीव संरक्षण या अन्य उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त किया जाय। किसी भी मामले में धारा 4(1) योग्य वन निवासी के अधिकारों की मान्यता व स्वामित्व को सुनिश्चित करेगा इसलिए इस अधिनियम के तहत बिना वनाधिकारों की मान्यता व स्वामित्व पाए, किसी भी स्थिति में बेदखली नहीं हो सकती।

(ब) भारत सरकार के वन व पर्यावरण मंत्रालय ने अपने पत्रांक संख्या 11–9/1998–एफसी(पीटी) दिनांक 30–7–2009 व दिनांक 3–8–2009 के संसोधन पत्र के अनुसार निर्देश जारी किए हैं कि राज्य सरकारें/केंद्र शासित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम–2006 के तहत वनाधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया में, यदि वन (संरक्षण) अधिनियम–1980 के अनुसार, वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों के लिए प्रस्ताव हो तो, कुछ विशेष प्रमाणों को संलग्न करे। राज्य सरकार वन भूमि के गैर वानिकी परिवर्तन हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम–1980 के अनुसार, वन व पर्यावरण मंत्रालय के दिनांक 30–7–2009 व दिनांक 3–8–2009 के संसोधित पत्र के सांमजस्य को सुनिश्चित करे।

(स) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के बाद परन्तु वन व पर्यावरण मंत्रालय के दिनांक 30–7–2009 के पत्र के जारी होने से पहले, वन (संरक्षण) अधिनियम–1980 के तहत वन भूमि के गैर वानिकी परिवर्तन के कुछ बड़े मामले हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में यदि बिना वनाधिकारों की मान्यता व स्वामित्व के ही किसी अनुसूचित जनजाति व वन निवासी की बेदखली होती है (उपरोक्त बड़े मामलों के कारण) तो जनपद स्तरीय समिति इस प्रकार की बेदखली के मामलों को राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति के संज्ञान में लाए ताकि इस अधिनियम की धारा 4(5) के विरूद्ध हुए कार्य पर उचित कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

(द) यह अधिनियम स्पष्ट करता है कि अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासियों के वन अधिकार राष्ट्रीय पार्कों व अभयारण्यों सहित प्रत्येक प्रकार की वन भूमि पर मान्य हैं। अधिनियम की धारा 2(बी) के अनुसार पार्कों व अभयारण्यों में वन्यजीवों के अतिविशिष्ट आवासों का निर्धारण व सूचित करने की जिम्मेदारी वन व पर्यावरण मंत्रालय की होगी, ताकि वन्य जीव संरक्षण के लिए नियमानुसार अधिकृत क्षेत्रों की स्थापना की जा सके। वास्तव में पार्कों और अभयारण्यों में निवास करने वाले लोगों के अधिकारों का निर्धारण करने के लिए इन क्षेत्रों में वन्य जीवों के अतिविशिष्ट आवासों को नोटिफाई करने का इंतजार नहीं किया जा सकता। अधिनियम की धारा 4(2), पार्कों व अभयारण्यों के उपयुर्क्त अतिविशिष्ट आवासों में भी वन निवासियों के वनाधिकारों की रक्षा व सुरक्षा मानक तय करती है। बाद में विशिष्ट आवास बनाने के लिए उनके वनाधिकारों का पुनर्निर्धारण व परिवर्तन किया जा सकता है। इस अधिनियम के तहत बिना वनाधिकारों की मान्यता व स्वामित्व तय किए, पार्कों व अभयारण्यों से वन निवासियों के अधिकारों का परिवर्तन या पुनर्वास नहीं किया जा सकता। धारा 4(5) के प्रावधानों के अनुसार पार्कों व अभयारण्यों से, जब तक वन निवासियों के वनाधिकारों व मान्यताओं के दावों की औपचारिकताएं पूरी न हो जांय, किसी प्रकार की बेदखली व पुनर्वास अनुज्ञेय नहीं हो सकता। राज्य सरकारें/केंद्र शासित क्षेत्र, राष्ट्रीय पार्कों व अभयारण्यों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासियों के वनाधिकारों को पहले मान्यता प्रदान करना सुनिश्चित करे। इस अधिनियम की धारा 4(2) के अनुसार बिना वनाधिकारों की मान्यता के पूर्ण हुए किसी भी वन निवासी सदस्य को, ऐसे क्षत्रों से से, यदि आवश्यक हो, अधिकारों में बदलाव या पुनर्वास न करे।

(य) राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति धारा 3(1)(एम), जो अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासियों की वनभूमि से बिना उनकी पुनर्वास हेतु हकदारी को प्राप्त किए, गैर कानूनी बेदखली व विस्थापन के मामलों में 'इनसिटु (उसी स्थान पर) पुनर्वास के अधिकार की मान्यता देता है, के सांमजस्य का अनुश्रवण करना सुनिश्चित करे। धारा 4(8),

जो भूमि के अधिकार की मान्यता देता है, यदि वन निवासियों को बिना भूमि मुआवजा दिए, जो राज्य के विकास हस्तक्षेपों के कारण उनके आवासों व काश्त से विस्थापित करे, का अनुश्रवण करना सुनिश्चित करे।

VI) जागरुकता निर्माण, अनुश्रवण और शिकायत सुधार

(अ) इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक राज्य सरकार/केंद्र शासित क्षेत्र, स्थानीय भाषाओं में समुचित संचार व प्रशिक्षण सामग्री तैयार करे।

(ब) राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी, उपखंड स्तरीय व जनपद स्तरीय समितियों द्वारा राजस्व, वन, आदिवासी कल्याण विभाग के फील्ड स्टॉफ, अधिकारियों, वनाधिकार समितियों व पंचायत प्रतिनिधियों के, प्रशिक्षणों का आयोजन करना सुनिश्चित करे। जिन ग्रामों में वनाधिकारों की मान्यता प्रक्रिया पूरी न हो पाई हो, वहां बैठकें व जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए जांय।

(स) राज्य सरकार, वनाधिकारों की मान्यता पूर्ण होने तक स्थानीय बाजारों में दैनिक या अन्य उपयुक्त स्थानों पर पाक्षिक जन सुनवाई आयोजित करे ताकि अधिनियम आरै इसकी नियमावली के प्रावधानों के बारे में जनता को जागरुक किया जा सके। जन सुनवाई में उपखंड स्तरीय समितियों के कुछ सदस्यों की उपस्थिति होना अधिक सहायक हो सकता है। जागरुकता प्रसार में ग्रामसभा को सक्रिय रूप से शामिल किया जाय।

(द) यदि किसी वन निवासी अनुसूचित जनजाति और ग्रामसभा के प्रस्ताव में विवाद हो जाय; या ग्राम सभा प्रस्ताव व उच्च प्राधिकारी, समिति, अधिकारी या सदस्य से विवाद हो, तो ऐसे प्राधिकारी या समिति, अधिनियम की धारा (8) के तहत किसी प्रावधान/नियम का उल्लंघन होने पर, वनाधिकारों की मान्यता हेतु राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति को सूचित करेगा। राज्य स्तरीय समिति, यदि आवश्यक हो तो, सूचना प्राप्ति के 60 दिनों के अन्दर जाँच करेगी और कार्यवाही करेगी; और जाँच व कार्यवाही के परिणामों से शिकायतकर्ता और ग्रामसभा, दोनों को सूचित करना सुनिश्चित करगी।